उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0-2-2064/ग्यारह–9(15)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(27)–2008

दिनांक: 30 जून, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जुलाई, 2008 से, शतप्रतिशत निर्यातमूलक निर्माता व्यापारियों को माल के निर्माण में ईधन के रूप में प्रयोग हेतु हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाईट डीजल आयल, सुपर लाईट डीजल आयल एवं फर्नेश आयल की किसी स्थानीय क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश पर कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव